न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 68/2020
GCMS NO. : 2020/00194

–:: वादीगण :–

1. लक्ष्मण गुर्जर पुत्र कालूराम
2. शंकरलाल पुत्र कालूराम
   जातियान– गुर्जर, निवासीगण– बलून्दा, तहसील जैतारण, जिला–पाली (राज.)।

बनाम

–:: प्रतिवादीगण :–

1. स्वरूपराम गोद पुत्र भंवरूराम
2. मिसरूराम पुत्र गिरधारीराम
3. बक्साराम पुत्र प्रताप
4. कानाराम पुत्र हरदीन
5. रतनाराम पुत्र हरदीन
   जातियान– जाट
6. धर्माराम पुत्र पूनाराम, जाति– माली
7. रूकमा पुत्री शिवराम, जाति– कुम्हार
8. धन्ना पुत्र पांचाजी
9. चुतरा पुत्र केसाजी
10. तुलछाई पत्नी गुदड़राम,
11. हाथीराम पुत्र गुदड़राम
12. गोरधनराम पुत्र हाथीराम
    जातियान– माली,
13. हुकमाराम पुत्र चन्द्राराम, जाति– जाट
14. बाबूलाल पुत्र हीराराम जाति– माली
15. समस्त कुमावत समाज बलून्दा(चमालिस खेड़ा) के प्रतिनिधि जोगाराम पुत्र वक्ताराम फौत के कायम मुकाम
    15/1. मोहनलाल पुत्र जोगाराम
    15/2. उगराराम पुत्र जोगाराम
    15/3. कमलीदेवी पुत्री जोगाराम जातियान– कुमावत
16. बिदामीदेवी पत्नी धर्माराम जाति– माली
    सभी निवासी [illegible]
    तहसील जैतारण, [illegible]
    राज0
17. [illegible] एवं [illegible]पंजीयन अधिकारी, जैतार[illegible] तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:02:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.14.09.2020

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपस्थित:-

1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलुन्दा, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::- दिनांक- 15/09/2021

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम बलुन्दा पटवार हल्का बलुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1231 रकबा 53-01 बीघा किस्म बाही दोयम आयी हुई है। जिसमें वादीगण संख्या 1 का कुल भूमि के 15/164 वां हिस्सा यानि 03 बीघा कृषि भूमि आती है एवं वादीगण संख्या 2 का 1/64 वां हक हिस्सा यानि 0.8289 बीघा भूमि आती है। इसी प्रकार ख0नं0 1227 रकबा 76 बीघा किस्म बाही दोयम में से वादीगण संख्या 2 का 1/64 वां हिस्सा यानि 1.1875 बीघा भूमि आती है। इस प्रकार वादीगण संख्या 2 का सम्पूर्ण दोनों खसरों की भूमि में कुल हिस्सा 2.0164 बीघा आता है। इसी अनुसार मौके पर वादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की साथ संलग्न है। जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कानूनी बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेड़बन्दी को तोड़फोड़कर देते है एवं वादीगण को हर समय उनके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतु बैंक से ऋण नहीं ले सकते तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवा सकते एवं अनकों प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनेकों प्रकार की [illegible] का सामना करना पड़ता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक [illegible] जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कानूनी बंटवाड़ा करवाने हेतु दिनांक 30.08.2020 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं [illegible]वादीगण ने टालमटोल कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno
Date: 2022.01.24 16:02:15 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देगें एवं वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगें। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों में कामयाब हो जाते है एवं वादीगण को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादीगण अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारों तथा खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगें तथा अनेकों प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगियां बढ़ेगी। जिससे वादीगण खर्चे से जेर बार हो जायेगें। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त कृषि भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार होने से एवं वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड वाउण्डस् के बंटवाडा करवाने के अधीकारी है तथा मौके पर वादीगण का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से वादीगण के पक्ष मे है, यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक मंसुवों मे सफल हो जाते है तो वादीगण को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स बढ़ेगी। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत् यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादी संख्या 17 तहसीलदार एवं उपंपजियन अधिकारी महोदय जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार होने से एवं बंटवाडे के वादपत्र मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 30.08.2020 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान, अन्य हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। प्रतिवादीगण संख्या [illegible] 16 बावजूद सम्मन सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने [illegible] कार्यवाही की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष अपनी अपनी सहमति से वाद [illegible] डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा करवानें हेतू सहमत होकर अपने अपने हस्ताक्षर आदेशिका पर किये। बहस वकुलाय उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र, काउण्टर वाद एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 16:02:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वकुलाय उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, ख0नं0 1231 रकबा 53-01 बीघा व खसरा नम्बर 1227 रकबा 76 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन ख0नं0 1231 रकबा 53-01 बीघा व खसरा नम्बर 1227 रकबा 76 बीघा किस्म चाही दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/398 दिनांक 14/06/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/2865 दिनांक 10/08/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन ख0नं0 1231 रकबा 53-01 बीघा व खसरा नम्बर 1227 रकबा 76 बीघा किस्म चाही दोयम भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bis
Date: 2022.01.24 16:02:15 IST
Reason: SelfAttested

	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
	शंकरलाल पुत्र कालूराम कौम गूर्जर सा. देह खातेदार	1231/1	0.3264	चाही दोयम	7.06
	लक्ष्मण राम पुत्र कालूराम कौम गूर्जर सा. देह खातेदार	1231/1	0.4879	चाही दोयम	10.55
	रूकमा पुत्री शिवराम कुम्हार हि. 10476/77731 रहन पंजाब नेशनल बैंक जैतारण, धर्माराम पुत्र पूनाराम माली हि. 5714/77731 रहन ICICI बैंक बिलाड़ा, चुतरा पुत्र केसाराम माली हि. 5237/77731, तुलछाई पत्नी गुदड़राम माली हि. 2618/77731, बाबूलाल पुत्र हीरा माली हि. 1309/77731, धना पुत्र पांचा माली हि. 3928/77731, हाथीराम पुत्र गुदड़ माली हि. 2618/77731, गोरधनराम पुत्र गुदड़राम माली हि. 2618/77731, बक्साराम पुत्र प्रताप जाट हि. 10476/77731, हुकमाराम पुत्र चन्द्राराम जाट 1309/77731, मिश्रीलाल पुत्र गिरधारी जाट हि. 10476/77731, रतनाराम पुत्र हरदीन जाट हि. 5238/77731 रहन ICICI बैंक शाखा जैतारण, कानाराम पुत्र हरदीन जाट हि. 5238/77731 रहन ICICI बैंक शाखा जैतारण, स्वरूप राम दत्तकपुत्र भंवरूराम जाट हि. 10476/77731 सा. देह खातेदार.	1231	7.7731	चाही दोयम	168.07
4.	रूकमा पुत्र शिवराम कुम्हार हि. 6455/30756 रहन रहन पंजाब नेशनल बैंक जैतारण, समस्त कुमावत समाज बलून्दा(चमालिस) प्रतिनिधि जोगाराम पुत्र बक्ताराम के का.मु. मोहनलाल उगराराम पि. जोगाराम कमलीदेवी पुत्री जोगाराम कुमावत हि. 329/123024, धना पुत्र पांचा माली हि. 1469/30756, बाबूलाल पुत्र हीराराम माली हि. 163/10252, भिदामी देवी पत्नी धर्माराम माली 326/7689, रहन ICICI बैंक बिलाड़ा, रतनाराम पुत्र हरदीन जाट हि. 3913/61512 रहन ICICI बैंक शाखा जैतारण, स्वरूपराम दत्तक पुत्र भंवरूराम जाट हि. 7831/61512, बक्साराम पुत्र प्रताप जाट हि. 7831/61512, मिश्रीलाल पुत्र गिरधारी जाट हि. 15331/123024, चुतरा पुत्र केसा माली हि. 1957/30576, तुलछाई पत्नी गुदड़राम माली हि.	1227	12.3024	चाही दोयम	266.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2022.01.24 16:02:15 IS
Reason: SelfAttested

	3913/123024, हुक्माराम पुत्र चन्द्राराम जाट हि. 1957/123024, हाथीराम पुत्र गुदड़राम माली हि. 3911/123024, गोरधनराम पुत्र गुदड़राम माली हि. 3911/123024, कानाराम पुत्र हरदीनराम जाट हि. 3913/61512 रहन ICICI बैंक शाखा जैतारण सा. देह खातेदार				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:02:15 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इन्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

-॥ वादीगण ।- बनाम -॥ प्रतिवादीगण ।-

1. लक्ष्मण गुर्जर पुत्र कालूराम
2. शंकरलाल पुत्र कालूराम
   जातियान- गुर्जर, निवासीगण- बलून्दा, तहसील जैतारण, जिला-पाली (राज.)।

बनाम

1. स्वरूपराम गोद पुत्र भंवरूराम
2. गिरधरूराम पुत्र गिरधारीराम
3. बक्साराम पुत्र प्रताप
4. कानाराम पुत्र हरदीन
5. रतनाराम पुत्र हरदीन
   जातियान- जाट
6. धर्माराम पुत्र पूनाराम, जाति- माली
7. रूकमा पुत्री शिवराम, जाति- कुम्हार
8. धन्ना पुत्र पांचाजी
9. चुतरा पुत्र केराजी
10. तुलछाई पत्नी गुदड़राम,
11. हाथीराम पुत्र गुदड़राम
12. गोरधनराम पुत्र हाथीराम
    जातियान- माली,
13. हुकमाराम पुत्र चन्द्राराम, जाति- जाट
14. बाबूलाल पुत्र हीराराम जाति- माली
15. समस्त कुमावत समाज बलून्दा(चमालिस खेड़ा) के प्रतिनिधि जोगाराम पुत्र वक्ताराम फौत के कायम मुकाम
    15/1. मोहनलाल पुत्र जोगाराम
    15/2. उगराराम पुत्र जोगाराम
    15/3. कमलीदेवी पुत्री जोगाराम
    जातियान- कुमावत
16. बिदामीदेवी पत्नी धर्माराम जाति- माली
    सभी निवासीगण बलून्दा तहसील- जैतारण, जिला- पाली राज0।
17. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज0।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 68/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 16:02:15 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व [illegible]जरी श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री [illegible]धरी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर [illegible]फिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिव[illegible]ण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन ख0नं0 1231 रकबा 53-01 बीघा व खसरा

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

म्बर 1227 रकबा 76 बीघा किस्म चाही दोयम भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के क हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	शंकरलाल पुत्र कालूराम कौम गूर्जर सा. देह खातेदार	1231/1	0.3264	चाही दोयम	7.06
2	लक्ष्मण राम पुत्र कालूराम कौम गूर्जर सा. देह खातेदार	1231/1	0.4879	चाही दोयम	10.55
3	रूकमा पुत्री शिवराम कुम्हार हि. 10476/77731 रहन पंजाब नेशनल बैंक जैतारण, धर्माराम पुत्र पूनाराम माली हि. 5714/77731 रहन ICICI बैंक बिलाड़ा, चुतरा पुत्र केसाराम माली हि. 5237/77731, तुलछाई पत्नी गुदड़राम माली हि. 2618/77731, बाबूलाल पुत्र हीरा माली हि. 1309/77731, धना पुत्र पांचा माली हि. 3928/77731, हाथीराम पुत्र गुदड़ माली हि. 2618/77731, गोरधनराम पुत्र गुदड़राम माली हि. 2618/77731, बक्साराम पुत्र प्रताप जाट हि. 10476/77731, हुकमाराम पुत्र चन्द्राराम जाट 1309/77731, मिश्रीलाल पुत्र गिरधारी जाट हि. 10476/77731, रतनाराम पुत्र हरदीन जाट हि. 5238/77731 रहन ICICI बैंक शाखा जैतारण, कानाराम पुत्र हरदीन जाट हि. 5238/77731 रहन ICICI बैंक शाखा जैतारण, स्वरूप राम दत्तकपुत्र भंवरूराम जाट हि. 10476/77731 सा. देह खातेदार.	1231	7.7731	चाही दोयम	168.07
4.	रूकमा पुत्र शिवराम कुम्हार हि. 6455/30756 रहन रहन पंजाब नेशनल बैंक जैतारण, समस्त कुमावत समाज बलून्दा(चमालिस) प्रतिनिधि जोगाराम पुत्र बक्ताराम के का.मु. मोहनलाल उगराराम पि. जोगाराम कमलीदेवी पुत्री जोगाराम कुमावत हि. 329/123024, धना पुत्र पांचा माली हि. 1469/30756, बाबूलाल पुत्र हीराराम माली हि. 163/10252, भिदामी देवी पत्नी धर्माराम माली 326/7689, रहन ICICI बैंक बिलाड़ा, रतनाराम पुत्र हरदीन जाट हि. 3913/61512 रहन ICICI बैंक शाखा जैतारण, स्वरूपराम दत्तक पुत्र भंवरूराम जाट हि. 7831/61512, बक्साराम पुत्र प्रताप जाट हि. 7831/61512, मिश्रीलाल पुत्र गिरधारी जाट हि. 15331/123024, चुतरा पुत्र केसा माली हि. 1957/30576, तुलछाई पत्नी गुदड़राम माली हि. 3913/123024, हुक्माराम पुत्र चन्द्राराम जाट हि. 1957/123024, हाथीराम पुत्र	1227	12.3024	चाही दोयम	266.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:02:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

	गुदड़राम माली हि. 3911/123024, गोरधनराम पुत्र गुदड़राम माली हि. 3911/123024, कानाराम पुत्र हरदीनराम जाट हि. 3913/61512 रहन ICICI बैंक शाखा जैतारण सा. देह खातेदार				

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/09/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02–00	स्टाम्प वकालतनामा	01–00
स्टाम्प वकालतनामा	01–00	स्टाम्प अर्जी	/
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	07–00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	10–00	मिजानः–	01–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:02:15 IST
Reason: SelfAttested